



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 272]
No. 272]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 1973/श्रावण 9, 18 95
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 1973/SRAVANA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING ORDERS

New Delhi, the 31st July, 1973

S. O. 413(E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1	I.N.R.No. 1291 (Southern Edition)	296.57 Metres	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events. (For release in Southern States i.e. Andhra Pradesh, Kerala, Mysore and Tamil Nadu.)

[No. F. 28/4/73-FP App.1818]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1973

एस० ओ० 413(अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1291 (दक्षिण संस्करण)	296. 57 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24-पैडर रोड, बम्बई-26	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल दक्षिण प्रान्त, आन्ध्र प्रदेश केरल, मैसूर, तमिल नाडू में प्रदर्शित करने के लिये) ।	

[संख्या फ० 28/4/73-एफ० पी० परिशिष्ट 1818]

S. O. 414(E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific or a film intended for educational purpose or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
I.N.R. No. 1290 (Eastern Edition)	297.79 Metres	Films Division, Government of India, 24- Peddar Road, Bombay-26.			Film dealing with news and current events (For release in Eastern States i.e., Assam, Bihar, Nagaland, Orissa, West Bengal, Manipur, NEFA and Tripura).

[No. F. 28/4/73-FP App. 1819]

एस० एन० 414 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० एन० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपलब्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है।
-------------	--------------	-------------------	--------------	-----------------	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1290 (पूर्वी संस्कारण)	297.79 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल पूर्वी प्रदेशों-असम बिहार, नागालैंड, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, मणिपुर, नेफा और त्रिपुरा प्रदर्शित करने के लिए)।	

[संख्या फ० 28/4/73 एफ० पी० परिशिष्ट 1819]

S. O. 415 (E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	I.N.R. No. 1290	199.00 Metres	Films Division Government of India, 24-Podder Road, Bombay-26		Film dealing with News and Current events (General Release)
2	I.N.R.No. 1291	190.19 Metres	Do.		Do.
3	Kuchipudi Dance Part I ancient and Modern	578.50 Metres	Do.		General Release 'Educational'
4	Kuchipudi Dance Part II Bhama Kalapam	454.00 Metres	Do.		Do.
5	'I'	426.72 Metres	M/s. Krishna Swamy Associates Pvt. Ltd. Madras-4		Do.
6	Better School	279.18 Metres	Bhardwaj Films 341-Tardeo Road, Bombay-34.		Do.

[No. F. 28/4/73-FP App. 1820]

एस० ओ० 415 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधि-यितमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाह-कार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है ।
1	2	3	4	5	6
(1)	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1290	199.00 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24 पैडर रोड, बम्बई-26	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (जनरल रिलीज के लिए)	
(2)	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1291	190.19 मीटर	—तथैव—	—तथैव—	
(3)	कुचिपुड़ी नृत्य भाग-1 प्राचीन और आधुनिक	578.50 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24 पैडर रोड, बम्बई-26	जनरल रिलीज "शिक्षा सम्बन्धी"	
(4)	कुचिपुड़ी नृत्य भाग-2 भासा और कल्पम	454.00 मीटर	—तथैव—	—तथैव—	
(5)	आई	426.72 मीटर	मैसर्स कृष्ण स्वामी एसोसिएट्स प्रा० लि०, मद्रास-4	—तथैव—	
(6)	बेटर स्कूल	279.18 मीटर	भारद्वाज फिल्म्स, तारदेव रोड, बम्बई-34	—तथैव—	

[संख्या फा० 28/4/73—एफ० पी० परिशिष्ट 1820]

S. O. 416 (E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act 1953 (Bombay Act XI of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
I	Varsha Tujhe Swagat	98.00 Metres	Director of Publicity, Government of Maharashtra, Bombay		(For release in Maharashtra Circuit only) News and Current events.

[No. F. 28/4/73-FP App. 1821]

HARJIT SINGH, Under Secy.

एस० प्रो० 416 (अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भाषाओं के रूपान्तर सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

- (1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।
- (2) बम्बई सिनेमा (वित्तियम) अधिनियम, 1953 (1953 का 11वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
(1)	वर्षा तुझे स्वागत	98.00 मीटर	प्रचार निदेशक, सरकार, बम्बई	महाराष्ट्र	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल महाराष्ट्र सर्किट के लिए)

[संख्या फा० 28/4/73-एफ० पी० परिशिष्ट 1821]

हरजीत सिंह, अवसर सचिव।